Entry 76

(144)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर,केम्प,भोपाल

उत्कर्ष अवस्थी आ. श्री सुभाष अवस्थी

निवासी–कोठी बाजार बैतूल, निगरानी 6195/2018/बैतूल/भू० रा०

तहसील व जिला बैतूल ....**पुनरीक्षणकर्ता**

प्रतिलिपिकर्ता श्री रत्नेश दुबे जिला होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत। 16/10/18

आदेश/कार्यवाही 25-10-18 प्राप्त 25-10-18

बनाम

1. अरूण पिता चन्द्रमूल अवस्थी
   निवासी कोठी बाजार बैतूल
   तहसील व जिला बैतूल
2. रेणुका पिता चन्द्रमूल अवस्थी
3. सुभाष पिता चन्द्रमूल अवस्थी

क्रमांक–2 व 3 निवासी अवस्थी गोदाम,कोठी बाजार,बैतूल

तहसील व जिला बैतूल ....**उत्तरवादीगण**

<u>पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.।</u>

माननीय अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम् संभाग,होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक–277/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2018, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर निम्न अनुविभागीय अधिकारी महोदय बैतूल द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक–10/अपील वर्ष 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 14.12.2017 की पुष्टि की है एवं तहसीलदार महोदय बैतूल के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक–120अ'6 वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2017 को निरस्त किया है, से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है।

क्रमशः.......2

R-6195/2018/बैतूल/RW.

Not press

28-3-2019

आवेदक अधिवक्ता श्री संदीप दुबे उप.। उनके प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के का कारण नॉटप्रेस किये जाने का निवेदन किया गया। विचारोपरांत आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष

रीडर

(संदीप दुबे)
Ad